


कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लघु वितरणी प्रमंडल सं०-4, गालुडीह ।
Email-eemdd4.icha@gmail.com


कंडम एवं अनुपयोगी समान एवं वाहन नीलामी आमंत्रण सूचना-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यपालक अभियंता , लघु वितरणी प्रमंडल संख्या-4, गालुडीह के अधीनस्थ कंडम एवं अनुपयोगी घोषित वाहन/मशीन की खुली निलामी " जैसे है जॉहा है" के आधार पर अंकित स्थान तिथि व स्थान पर कि जाएगी । निलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म द्वारा संबन्धित कार्यालय में संपर्क कर निलामी योग्य वाहन का भौतिक निरीक्षण किया जा सकता है । नियम एवं शर्त कार्यालय के सूचनापट्ट पर देखा जा सकता है । वाहन कि निलामी की विवरण एवं अन्य सूचनाए निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	वाहन/मशीन	वाहन एवं मशीन की संख्या	निलामी हेतु राशि (रु०)	निलामी का स्थान, तिथि एवं समय	वृद्धि दर (डाक हेतु)	जमानत राशि
1	Jeep BRE-8074 (Diesel)	1	750.00	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, लघु वितरणी प्रमंडल सं०-4, गालुडीह, दिनांक -09/04/2021 समय- 01:00 बजे अप०	750.00	500.00
2	Metallic Tap (100'x0")	01	4.00	वही	4.00	5.00
3	Engineering Chain 5kg	01	50.00	वही	25.00	50.00
4	Navtal Godrej 7 locker	03	12.00	वही	10.00	15.00
5	Godrej Revolving Chair	01	80.00	वही	50.00	50.00
6	S. type chair	02	80.00	वही	50.00	50.00
7	Half Secretardi Table	02	80.00	वही	50.00	50.00
8	Godrej Cave Seated chair	02	50.00	वही	25.00	40.00
9	Godrej Steel Almirah (86"x36"x19")	01	200.00	वही	100.00	150.00
10	Godrej Steel Almirah (52"x 30"x 18")	01	120.00	वही	80.00	100.00
11	Dumpy Level	02	30.00	वही	10.00	20.00


(ई० संगीत कुमार मिश्रा)
कार्यपालक अभियंता
लघु वितरणी प्रमंडल सं०-4,
गालुडीह ।

नियम एवं शर्त:-

- 1 निलामी के लिये इच्छुक व्यक्ति/फर्म को निलामी में भाग लेने के लिये अपनी पहचान के रूप में मतदाता पहचान पत्र/ आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस/पासपोर्ट या फोटो युक्त बैंक खाता में से किसी एक पहचान पत्र की छायाप्रति किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी तथा जाँच हेतु मूल अभिलेख भी प्रस्तुत करना होगा ।
- 2 निलामी में भाग लेने वाले इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को निलामीसे पूर्व वाहन/ मशीन के निलामी हेतु निर्धारित जमानत राशि संबंधित कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमंडल संख्या-4, गालुडीह के पदनाम से प्रतिज्ञित कराकर गालुडीह में भुगतये बैंक ड्राफ्ट/ नगद राशि के रूप में एक मुश्त जमा करना अनिवार्य होगा ।
- 3 वाहन/मशीन के लिए निर्धारित न्यूनतम मूल्य से ऊपर डाक बोलनी होगी ।
- 4 उच्चतम डाक बोलने वाले को निलामी की स्वीकृति प्रदान की जाएगी । स्वीकृति के पश्चात शेष राशि उसी समय या सात दिनों के अंदर संबंधित कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमंडल संख्या-4, गालुडीह के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट जो गालुडीह में भुगतये हो अथवा नगद राशि जमा करनी होगी अन्यथा जमा ली गई सारी राशि जब्त कर ली जाएगी ।
- 5 निलामी स्वीकृति की शेष राशि जमा करने के एक सप्ताह के उपरान्त किन्तु निलामी की तिथि से एक पखवार के अंदर अपने खर्च पर संबंधित वाहन/मशीन हटा लेना अनिवार्य होगा अन्यथा किसी प्रकार की कोई जवाबदेही विभाग की नहीं होगी ।
- 6 जिनकी डाक बोली कम होगी उनके द्वारा जमा की गई जमानत की राशि निलामी स्वीकृति के पश्चात वापस कर दी जाएगी ।
- 7 वाहन की नबंधन संख्या मात्र पहचान के लिये है । इसका उपयोग निलामी प्राप्त करने वाले के लिये निसिद्ध होगा ।
- 8 उपरोक्त क्रमांक 01 से 04 तक पुरानी वाहनों का ऑनर बुक एवं अन्य कागजात उपलब्ध नहीं है के आधार पर निलामी की जायेगी ।
- 9 इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी संबंधित कार्यालय से कार्यावधि में निलामी से पूर्व प्राप्त की जा सकती है ।
- 10 उच्चतम डाक बोली लगाने वाले के द्वारा यदि निर्धारित समयवधि में वाहन/मशीन नहीं हटाई जाती है तो जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी ।
- 11 उच्चतम बोली के आधार पर GST से संबंधित राशि अभ्यर्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा ।
- 12 निलामी में भाग लेने हेतु प्रवेश शुल्क के रूप में 300.00 रुपये प्रति अभ्यर्थी से जमा करना अनिवार्य है जो वापस नहीं किया जायेगा ।
- 13 विभाग के सक्षम पदाधिकारी/अधोहस्ताक्षरी किसी भी स्तर पर निलामी की सूचना को निरस्त करने का अधिकार रखते हैं ।


(ई0 संगीत कुमार मिश्रा)
कार्यपालक अभियंता
लघु वितरणी प्रमंडल सं०-4,
गालुडीह